An occasional column on significant developments in the media world

By Ashok Mansukhani Advocate Bombay High Court. Specialist in Multi Media Law and Regulation/ Corporate Law and Regulation and Taxation.



मीडियाबीट

मीडिया की दुनिया में महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक सामयिक स्तंभ

लेग्डकः अशोक मनसुग्डानी एडवोकेट वॉम्वे हाई कोर्ट मल्टी मीडिया कानून और रेग्यूलेशन/कॉरपोरेट कानून और रेग्यूलेशन और टैक्सेशन के विशेषज्ञ।

WILL DISNEY SELL OUT TO JIO INCREASE CABLE INDUSTRY WOES?

Cable industry is already reeling under onslaught of Free Dish and OTT discriminatory pricing. Disney sell out could make pay channels out of reach of viewers. Will Government step in to restore level playing field?

A. WILL SELL-OUT OF DISNEY INDIA TO JIO LEAD TO CARTELISATION OF THE BROADCASTING INDUSTRY?

◆ In the past month, trial media balloons have been floated of initial discussions between **Disney** and

Sony for a potential buyout by Sony of the Star TV and Disney Hotstar streaming business.

◆ The Mint Newspaper reported in mid-October that Sony had initiated talks with Walt Disney Co. about acquiring its

24

India business. The preliminary discussions with **Disney** were stated to be **Sony's** contingency plan in case its ongoing merger agreement with **Zee Entertainment Enterprises Ltd** faces inordinate delay or collapses,

क्या डिज्नी के जियो के हाथों विकने से केबल उद्योग की मुश्किलें बढ़ जायेंगी?

केबल उद्योग पहले से ही फ्रीडिश और ओटीटी भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण के हमले से जूझ रहा है।डिज्नी के बिकने से पे चैनल, दर्शकों की पहुंच से दूर हो सकते हैं।क्या सरकार समान अवसर बहाल करने के लिए कदम उठाायेगी?

- ए. क्या डिज्नी इंडिया को जियो के हाथों बेचने से प्रसारण उद्योग में गुटबंदी हो जायेगी?
 - पिछले महीने में, स्टार टीवी और डिज्नी हॉटस्टार स्ट्रीमिंग व्यवसाय के सोनी द्वारा संभावित खरीद के लिए डिज्नी व सोनी के बीच प्रारंभिक चर्चा की खबरों से पूरा मीडिया जगत भरा रहा।
 - ◆ मिंट अखबार ने अक्टूबर के मध्य में रिपोर्ट दी थी कि सोनी ने वॉल्ट डिज्नी कंपनी के साथ उसके भारत के कारोबार को हासिल करने के लिए बातचीत शुरू की थी।डिज्नी के साथ प्रारंभिक चर्चा को सोनी की

आकिस्मिक योजना बताया गया था, यदि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ उसके चल रहे विलय समझौते में अत्यधिक देरी या पतन का सामना करना पड़ता है।

मिंट ने कुछ लोगों के हवाले से कहा कि 'पिछले दो वर्षों में मीडिया



- ◆ The Mint quoted some people who felt that "Much has changed in the media and entertainment space in the last two years. Most importantly, Disney India was not up for sale until six months back. Now that it is, top bosses in SPE see Disney India as a better proposition, one where they have cultural similarities, too,"
- ◆ In December 2021, Sony Pictures Networks India (SPNI) had agreed to merge with Zee. Due to many legal challenges from Essel Group creditors, the final unconditional NCLT approval to merge came only on August 8, 2023.
- ◆ SEBI has debarred Mr Punit Goenka, MD and CEO of Zee, from holding a managerial post at Zee till SEBI enquiries into other



financial transactions of **Essel Group** are complete. **Securities Appellate Tribunal (SAT)** has reserved judgment and allowed **SEBI** investigations to continue.

- ◆ Another round of kite flying by media started on October 23 2023, quoting Bloomberg that Walt Disney India was close to selling its entire media business to Reliance Jio shortly. Reliance, whose broadcast venture Viacom 18 runs JioCinema, values Disney's India assets, which comprises the Disney+ Hotstar streaming service and Star India, at between \$7 billion and \$8 billion, the report said.
- ◆ Moffett Nathanson, a well-known media research firm, claimed recently that given the declining performance, "Disney (India) can turn to the new joint venture run by their former executive (Mr Uday Shankar) in Reliance Jio and create an even larger joint venture (in Viacom 18), which will de-consolidate India results and put the asset into stronger and more strategic hands."
- ◆ Another well-known Asian media analyst, Mr Vivek Couto, holds a different view. He says, "However, they recalibrate, Disney will be thinking about how to leverage Star India's local IP, reach, and viewership, and they will be looking at who can best maximise the Disney franchises across theatrical, consumer products and maybe even a first India theme park."

25

- और मनोरंजन क्षेत्र बहुत अधिक वदल गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छह महीने पहले तक **डिज्नी इंडिया** विक्री के लिए उपलब्ध नहीं था। अब जब यह हो गया है तो **एसपीई** के शीर्ष अधिकारी **डिज्नी इंडिया** को एक वेहतर प्रस्ताव के रूप में देखते हैं। जहां उनकी सांस्कृतिक समातायें भी हैं।
- ◆ दिसंबर 2021 में, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया (एसपीएनआई) ने जी के साथ विलय पर सहमति व्यक्त की थी। एसेल समूह की लेनदारों की कई कानूनी चुनौतियों के कारण, विलय के लिए अंतिम बिना शर्त एनसीएलटी मंजूरी 8 अगस्त 2023 को मिली।



♦ सेबी ने जी के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका को एस्सेल समूह के अन्य वित्तीय लेनदेन के वारे में सेवी की जांच पूरी होने तक जी में प्रवंधकीय पद संभालने से रोक दिया। प्रतिभृति अपीलीय

न्यायाधिकरण (एसएटी) ने फैसल सुरक्षित रख लिया और सेबी की जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है।

- ♦ मीडिया द्वारा पतंगवाजी का एक और दौर 23 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ, ब्लूमबर्ग के हवाले से बताया गया कि वॉल्ट डिज्नी इंडिया जल्द ही अपना पूरा मीडिया व्यवसाय रिलायंस जियो को बेचने के करीब था।रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस, जिसका प्रसारण उद्यम वायाकॉम 18 जियो सिनेमा चलाता है, डिज्नी की भारत की संपत्ति का मूल्य 7 बिलियन डॉलर से 8 बिलियन डॉलर के बीच है, जिसमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार स्टीमिंग सेवा और स्टार इंडिया शामिल है।
- प्रिसिद्ध मीडिया रिसर्च फर्म मोफेट नाथनसन ने हाल ही में दावा किया कि गिरते प्रदर्शन को देखते हुए 'डिज्नी (भारत) रिलायंस जियो में अपने पूर्व कार्यकारी (श्री उदय शंकर) द्वारा संचालित नये उद्यम की ओर रूख कर सकता है और इससे भी बड़ा संयुक्त उद्यम (वायाकॉम 18 में) बना सकता है, जो कि भारत के नतीजों को कमजोर करेगा और संपत्ति को मजबूत और अधिक रणनीतिक हाथों में सौंप देगा।
- एक अन्य प्रसिद्ध एशियाई मीडिया विश्लेषक, श्री विवे कूटो, एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। वह कहते हैं 'हालांकि, वे पुनर्ग णना करते हैं, डिज्नी इस बारे में सोच रहा होगा कि स्टार इंडिया के स्थानीय आईपी, पहुंच और दर्शकों की संख्या का लाभ कैसे उठाया जाये और वे यह देख रहे होंगे कि नाटकीय, उपभोक्ता उत्पादों और शायद पहले भारत थीम पार्क में डिज्नी फ्रेंचाईजी का अधिकतम लाभ कौन उठा सकता है।'

COMMENT

26

- ◆ A Sony -Disney deal will need CCI clearance and NCLT approval, which will take a minimum of twelve months.
- ◆ The massive cricket viewership of the World Cup (43 million viewers for the India-New Zealand match on October 20 2023) and the highly high-quality television broadcasts of the cricket matches must leave a wry regret in Disney's top management for letting go of IPL rights, which has led to a significant fall in Hotstar subscribers by 12 to 15 million subscribers.
- ◆ This writer believes that Disney India has other options despite the breathless excitement of print media sensationalising Disney India's woes.
- ♦ Disney can take to licensing its content to other Broadcasters instead of expending cash flows.
- ◆ It can revamp its top management, which somehow lacks the dynamic risk-taking brilliance of Mr Uday Shanker, who is now powering Viacom 18 and let the Indian team run its business without backseat control from Burbank, California.
- ◆ Disney can sell off the entire business at a massive loss of 10 billion dollars of acquisition valuation to Reliance.
- ◆ The Government-owned Invest India states that India's Media & Entertainment industry is expected to reach \$ 35.4 Billion by 2025. This makes India the fastest-growing entertainment and media market globally in terms of consumer and advertising revenue.
- ♦ We are in for interesting times of consolidation and possible cartelisation in broadcasting.

टिप्पणी

- सोनी डिज्नी सौदे के लिए सीसीआई मंजूरी और एनसीएलटी अनुमोदन की आवश्यकता होगी, जिसमें कम से कम बारह महीने लगेंगे।
- ♠ विश्वकप की विशाल दर्शकों की संख्या (20 अक्टूबर 2023 को भारत-न्यूजीलैंड मैंच के लिए 43 मिलियन दर्शक) और क्रिकेट मैचों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले टेलीविजन प्रसारण को जाने देने के लिए डिज्नी के शीर्ष प्रबंधन को आईपीएल अधिकार छोड़ने के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए, जिसके कारण हॉटस्टार के ग्राहकों में 12 से 15 मिलियन ग्राहकों की महत्वपूर्ण गिरावट आयी है।
- ◆ इस लेखक का मानना है कि प्रिंट मीडिया द्वारा डिज्नी इंडिया की समस्याओं को सनसनीखेज बनाने के बेदम उत्साह के बावजूद डिज्नी इंडिया के पास अन्य विकल्प है।
- ♦ डिज्नी नकदी प्रवाह खर्च के बजाय अन्य प्रसारकों को अपनी सामग्री का लाइसेंस दे सकता है।
- यह अपनी शीर्ष प्रबंधन में सुधार कर सकता है, जिसमें किसी तरह श्री उदय शंकर की गतिशील जोखिम लेने की प्रतिभा का अभाव है, जो अब वायाकॉम 18 के शक्ति प्रदान कर रहे हैं और भारतीय टीम को बवैंक, कैलिफोर्निया से बैकसीट नियंत्रण के बिना अपना व्यवसाय चलाने दें।
- ◆ डिज्नी अधिग्रहण मूल्यांकन के 10 बिलियन डॉलर के भारी नुकसान पर पूरा कारोबार रिलायंस को वेच सकता हैं।
- सरकार की स्वामित्व वाली इन्वेस्ट इंडिया का कहना है कि भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग 2025 तक 35.4 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह भारत को उपभोक्ता और विज्ञापन राजस्व के मामले में वैश्विकस्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला मनोरंजन और मीडिया बाजार बनाता है।
- हम प्रसारण में समेकन और संभावित गुटबंदी के दिलचस्प समय में हैं।

STAR RESULTS DISAPPOINT

- ◆ The Economic Times reported recently that Star India's consolidated net profit for FY 2023 dropped 31% yearly to Rs 1,272 crore compared to Rs 1834 crore in the previous year.
- ◆ Though the total income rose by 9% to Rs. 20699 crores and the operating income by 6% to Rs. 19857 crores, the company's advertisement revenue fell by 4% to Rs. 11186 crores.
- ◆ Subscription revenue, both TV and digital, rose by 14% to Rs. 7001 crores. This rise resulted from earning an estimated Rs. 3500 crores from IPL 2022. Licensing content rights rose to Rs. 1446 crores.
- ◆ The Cricket World Cup 2023 revenues will be reflected in the next year's accounts. Still, the overall results will only strengthen the resolve of Walt Disney International to either sell out or sublicence its brands in India.

STUNNING SUCCESS FOR MR PUNIT GOENKA

- ◆ The Securities Appellate Tribunal (SAT) quashed SEBI's 14 August 2023 order on October 30 2023, barring Mr Punit Goenka of Zee Entertainment Enterprises from holding key directorship in listed entities, including
 - **ZEEL**, in the wake of an investigation into alleged financial wrongdoings in some **Essel** Group companies.
- ◆ The SAT is quoted by media as stating: In view of the aforesaid, the SEBI order cannot be sustained and is quashed. The confirmatory order passed by SEBI on 14 August is set aside. The appeal is allowed. The appellants, however, will co-operate in the ongoing investigation."

27

- The detailed order is awaited at writing. Still, SEBI will file a statutory appeal to the Supreme Court as it is unusual for SAT to pass such an order considering the extremely detailed confirmatory order passed by the SEBI Chairman.
- ◆ This should pave the way for Mr Goenka to resume as Managing Director and CEO of ZEEL and head one of the largest merged entities in the media and entertainment sector after the merger with Sony. Depending on further developments, the merger process should be completed in Quarter 4 of the current financial year.

स्टार का परिणाम निराशाजनक

◆ इकोनॉमिक टाइम्स ने हाल ही में बताया कि वित्त वर्ष 2023 के लिए
स्टार इंडिया का शुद्ध समेकित लाभ पिछले वर्ष के 1834 करोड़

रुपये की तुलना में **31%** गिरकर **1272 करोड़ रुपये** रह

- ★ हालांकि कुल आय 9% बढ़कर 20699 करोड़ रूपये और परिचालन आय 6% बढ़कर 19857 करोड़ रूपये हो गयी, लेकिन कंपनी का विज्ञापन राजस्व 4% गिरकर 11186 करोड़ रूपये रह गया।
- ♠ क्रिकेट विश्वकप 2023 का राजस्व अगले वर्ष के खाते में दिखाायी देगा।फिर भी समग्र परिणाम वॉल्ट डिज्नी इंटरनेशन के भारत में अपने बांडों को बेचने या उप-लाइसेंस देने के संकल्प को मजबूत करेंगे।

पुनीत गोयनका को आश्चर्यजनक सफलता

प्रितभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) ने 30 अक्टूबर 2023 को सेवी के 14 अगस्त 2023 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कुछ एसेल ग्रुप की कंपनियों में कथित वित्तीय गड़वड़ियों के जांच के महेनजर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के श्री प्नीत गोयनका

> को **जेडईईएल** सहित सूचीवद्ध संस्थाओं में प्रमुख निदेशक पद संभालने से रोक दिया गया है।

- ♦ मीडिया ने एसएटी के हवाले से कहा हैंड
 उपरोक्त के महेनजर, सेवी के आदेश को कायम
 नहीं रखा जा सकता और रह किया जाता है। सेवी
 ह्यारा 14 अगस्त को पारित पुष्टिकरण आदेश को
 रह कर दिया गया है।अपील स्वीकार की जाती है,
 हालांकि, अपीलकर्ता चल रही जांच में सहयोग करेंगे।
- ◆ विस्तृत आदेश की लिखे जाने तक प्रतीक्षा
- हैं। फिर भी, सेवी उच्चतम न्यायालय में से एक वैधानिक अपील दायर करेगी क्योंकि **सेवी** अध्यक्ष द्वारा पारित अत्यंत विस्तृत पुष्टिकरण आदेश पर विचार करते हुए एसएटी द्वारा इस तरह का आदेश पारित करना असामान्य है।
- इससे श्री गोयनका के लिए जेडईईएल के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से काम शुरू करने और सोनी के साथ विलय के बाद मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सबसे बड़ी विलय वाली संस्थाओं में से एक का प्रमुख बनने का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए।आगे घटनाक्रम के आधार पर विलय प्रक्रिया चालू वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में पूरी हो जानी चाहिए।



MR PUNIT GOENKA

- B. TRAI BROADCAST
 REGULATIONS DO NOT COVER
 'OTT PLATFORMS' OPENS A
 NEW FAULTLINE IN THE
 MEDIA SCENARIO
 - ◆ In October 2023, the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) issued a
 - significant ruling stating that over-the-top (OTT) platforms do not fall under the jurisdiction of the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI).
 - ◆ This ruling came in response to a petition filed by the All India Digital Cable Federation (AIDCF), which alleged that Disney Star's free streaming of ICC Cricket World Cup matches on mobile devices was discriminatory under TRAI regulations.
 - ◆ The AIDCF senior counsel had argued that the respondent is charging Star Sports from the MSOs. In contrast, it allows free

28

- telecasts of **Star Sports**, including World Cup cricket, on the **Disney Hotstar** mobile application. It was argued that in that case, **Star Sports** should be provided free of charge to the **MSOs**, too.
- ◆ The **Star Disney** senior counsel countered that the respondent, owning a broadcasting network and an **OTT** platform, wears two hats. As per **Regulation 2** (r) of the **2017** regulations, the **OTT** platform is not covered by the definition of a distribution platform. **TDSAT** cannot rewrite the regulation.
- ◆ The **TDSAT** held that **OTT Platforms** do not need a licence or registration from the Central

- बी. ट्राई प्रसारण विनियम ओटीटी प्लेटफॉर्मों को कवर नहीं करते हैं जो मीडिया परिदृश्य में एक नयी गलती को खोलता है
 - ♦ अक्टूबर 2023 में दूरसंचार, विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) ने एक महत्वपूर्ण फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म भारतीय दूरसंचार
 - (ओटीटी) प्लेटफॉर्म भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (द्राई) के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।
 - ◆ यह फैसला ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मोबाइल उपकरणों पर डिज्नी स्टार की आईसीसी क्रिकेट विश्वकप मैचों की मुफ्त स्ट्रीमिंग ट्राई नियमों के तहत भेदभाव थी।
 - ◆ एआईडीसीएफ के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया था कि प्रतिवादी एमएसओ से स्टार स्पोर्ट्स शुल्क ले रहा है।इसके विपरीत, यह डिज्नी-हॉटस्टार मोबाइल एप्लिकेशन पर विश्वकप क्रिकेट सहित स्टार स्पोर्ट्स के मुफ्त प्रसारण की अनुमति देता है।यह तर्क दिया गया है कि उस स्थिति में, स्टार
 - स्पोर्ट्स को एमएसओ को भी निःशुल्क प्रदान किया जाना चाहिए।
 - ★ स्टार डिज्नी के वरिष्ठ वकील ने प्रतिवाद किया कि प्रतिवादी, एक प्रसारण नेटवर्क और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का मालिक है, दो टोपी पहनता है।2017 के विनियमों के विनियमन 2 (आर) के अनुसार, ओटीटी प्लेटफॉर्म वितरण प्लेटफॉर्म की परिभाषा में शामिल नहीं है।टीडीसेट विनियमों को दोवारा नहीं लिख सकता है।
 - टीडीसेट ने माना कि ओटीटी प्लेटफार्मों को केंद्र सरकार से लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे टीवी चैनल नहीं है। टीडीएसएटी ने माना कि ओटीटी प्लेटफॉर्म



Telecom Regulatory Authority of India

(IS/ISO 9001-2008 Certified Organisation)



- Government as they are not TV Channels. **TDSAT** held that OTT platforms are covered by the **Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules**, 2021.
- ◆ The platforms are not covered by various definition clauses of the **TRAIAct** and **Explanatory Memorandum of 2017 Regulations**.

COMMENT

29

- ◆ While this is an interim order, the discriminatory treatment of Cable and DTH customers gets unexpected judicial support.
- ◆ While AIDCF may or may not approach the Supreme Court to reverse the TDSAT order, as interim orders rarely get stayed in the Supreme Court, it should ring alarm bells in TRAI, MIB, and MIETY.
- ◆ Maintaining a level playing field is vital for the healthy growth of the communication industry. TRAI has striven to keep an even balance for the past 20 years.

C. IS THE TIME RIGHT FOR ANOTHER REVAMP OF BROADCASTING AND CABLE REGULATIONS BY TRAI?

- ◆ Phase-wise digitalisation of the Indian cable industry started in the summer of **2012** and took three years to complete. Regulations to govern the digital firmament took five years.
- ◆ The 2017 Digital Tariff Order and Interconnection Regulations were meant to provide:
 - "Transparency, non-discrimination, nonexclusivity for all stakeholders in the value chain,
 - Adequate and real choice to subscribers/ customers and,
 - * Alignment of commercial interests of Broadcasters and distributors of television channels to enable the distributors of television channels to recover their network and distribution cost and the Broadcasters to monetise their channel prices."

- सूचना प्रौद्योगिको (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अंतर्गत आते हैं।

टिप्पणी

- हालांकि, यह एक अंतरिम आदेश है, केवल और डीटीएच ग्राहकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को अप्रत्याशित न्यायिक समर्थन मिलता है।
- हालांकि एआईडीसीएफ टीडीसैट के आदेशों को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख कर भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आदेशों पर शायद ही कभी रोक लगायी जाती है, इससे ट्राई, एमआईबी और एमआईईटीवाई में खतरे की घंटी बजनी चाहिए।
- संचार उद्योग के स्वस्थ्य विकास के लिए समान अवसर बनाये रखना महत्वपूर्ण है। ट्राई ने पिछले 20 वर्षों से एकसमान संतुलन बनाये रखने का प्रयास किया है।

सी. क्या ट्राई द्वारा प्रसारण और केबल विनियमों में एक और सुधार का समय सही है।?

- भारतीय केवल उद्योग का चरणवार डिजिटलीकरण 2012 की गर्मियों में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में तीन साल लगे । डिजिटल आकाश को नियंत्रित करने के लिए विनियमों में पांच साल लग गये ।
- ◆ 2017 में डिजिटल टैरिफ ऑर्डर और इंटरकनेक्शन अधिनियम का उद्देश्य थाः
 - मूल्य श्रृंखला में सभी हित धारकों के लिए पारदर्शिता, गैर भेदभाव. गैर-विशिष्टता
 - उपभोक्ता /ग्राहकों के लिए पर्याप्त और वास्तविक विकल्प और
 - टेलीविजन चैनलों के प्रसारकों और वितरकों के व्यवसायिक हितों का सरेखण, तािक टेलीविजन चैनलों के वितरकों को अपने नेटवर्क और वितरण लागत की वसूली करने में सक्षम बनाया जा सके और प्रसारकों को अपने चैनल की कीमतों का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाया जा सके।

- Broadcasters failed in their appeals to the Madras High Court and Supreme Court, which upheld the right of TRAI to regulate Broadcasters and DPOs in its seminal judgment of 30.10.2018.
- Regulations took effect in 2019, but just a year later, before the changeover took full effect, TRAI amended the regulations in January 2020, claiming its benefits were not r e a c h i n g consumers.



- ◆ This led to another spate of litigation in the **Bombay High Court**, which upheld the new regulations in **June 2021**. The Supreme Court refused an interim stay, leading to the withdrawal of the petition.
- ◆ Finally, the Regulations were again amended in **November 2022.** wherein TRAI observed:
 - * The Authority believes broadcasters should be given complete freedom and business flexibility to monetise their channels. Accordingly, continuing its light touch approach regarding the pricing of channels, the Authority has decided not to prescribe a ceiling on the MRP of pay channels. Broadcasters are expected to price their channels reasonably, ensuring the benefits of digitisation to the subscribers.
- New amendments favouring Broadcasters were hailed by them and assailed by Cable DPOs, leading to another round of litigation in the Kerala High Court, which rejected the challenges by All India Digital Cable Federation (AIDCF) in April 2023.

NEW CONSULTATION PAPER

◆ AIDCF and Cable Organisations felt that while favouring Broadcasters in the 2022 Tariff Amendments, TRAI had ignored the demands of DPOS. Finally, a new Consultation Paper was issued on August 8, 2023, on distribution issues:

 प्रसारक मद्रास उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील में विफल रहे, जिसने 30.10.2018 के अपने मौलिक फैसले में प्रसारकों और डीपीओ को विनियमित करने के ट्राई के

अधिकार को बरकरार रखा।

- ◆ न ा ट ा े अधिनियम, 2019 से प्रभावी हुए, लेकिन बदलाव के पूर्ण रूप से प्रभावी होने से ठीक एक साल बाद, ट्राई ने जनवरी 2020 में नियमों में संशोधन किया, यह दावा करते हुए कि इसका लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहा है |
- ◆ इससे **वॉम्बे हाई** कोर्ट में मुकदमेबाजी का एक

और सिलसिला शुरू हो गया, जिसने जून 2021 में नये नियम के बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक से इंकार कर दिया, जिसके चलते याचिका वापस ले ली गयी।

- अंततः नवंबर 2022 में विनियमों में फिर से संशोधन किया गया, जिसमें ट्राई ने कहाः
 - प्राधिकरण का मानना है कि प्रसारकों को अपने चैनलों से कमायी करने की पूरी आजादी और व्यवसायिक लचीलापन दिया जाना चाहिए।तदनुसार चैनलों के मूल्य निर्धारण के संबंध में अपने हल्के स्पर्श दृष्टिकोण को जारी रखते हुए, प्राधिकरण ने पे चैनलों के एमआरपी पर कोई सीमा निर्धारित नहीं करने का निर्णय लिया है।प्रसारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने चैनलों की कीमत उचित रखें, तािक ग्राहकों के डिजिटलीकरण का लाभ सुनिश्चित हो सके।
 - प्रसारकों के पक्ष में नये संशोधनों का उनके द्वारा स्वागत किया गया और केवल और डीपीओ द्वारा आलोचना की गयी, जिसके कारण केरल उच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी का एक और दौर शुरू हुआ, जिसने अप्रैल 2023 में ऑल इंडिया डिजिटल केवल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) द्वारा चुनौतियों को खारिज कर दिया।

नया परामर्श पत्र


एआईडीसीएफ और केवल संगठनों ने महसूस किया कि 2022 टैरिफ संशोधनों में प्रसारकों का पक्ष लेते हुए, ट्राई ने डीपीओ की मांगों को नजरअंदाज कर दिया था । अंततः वितरण मुद्दों पर 8 अगस्त 2023 को एक नया परामर्श पत्र जारी किया गयाः

- Should the current Rs 130/- ceiling on NCF be reviewed and revised?
- Should there be a provision to mandatorily provide the Free to Air News / Non-News / Newly Launched channels available on the platform of a DPO to all the subscribers?
- Should Tariff Order 2017, Interconnection Regulations 2017 and Quality of Service Regulations 2017 be made applicable to nonaddressable distribution platforms such as DD Free Dish?

RESPONSES OF INDUSTRY

- ◆ AIDCF expressed unhappiness with the new Consultative paper in two ways. It filed a detailed response to TRAI stating that:
 - * There is an urgent need to revisit and appropriately adjust the NTO 2017 provisions to align them with the overarching licensing framework. This can be accomplished by requiring Broadcasters to cap their channel MRP at the DPO wholesale price.
 - Further, the DPOs create a unique and specialised service; therefore, the DPO can only decide the retail price of the service, including

31



- * Escalating subscription costs have resulted in DPOs losing millions of subscribers each quarter. This trend casts doubt on the sustainability of the DPO's business model under the current Regulatory framework.
- * DD Free Dish operates outside the Regulatory ambit that governs all DPOs, creating an imbalance in the playing field. Beyond the challenges posed to other DPOs, DD Free Dish restricts consumer choice.
- ◆ Apart from these responses, **AIDCF** filed a writ petition in the Delhi High Court taking up these and other issues, including pay channel sports content being provided free on OTT.

- क्या एनसीएफ पर मौजूदा 130 रूपये की सीमा की समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए?
- क्या सभी ग्राहको को डीपीओ के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध फ्री टू एयर न्यूज/नॉन न्यूज/नये लॉन्च किये गये चैनल अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का प्रावधान होना चाहिए?
- क्या टैरिफ आर्डर 2017, इंटरकनेक्शन विनियम 2017 और सेवा की गुणवत्ता विनियम 2017 को डीडी फ्री डिश जैसे गैर एड्रेसेवल वितरण प्लेटफॉर्मो द्वारा लागू किया जाना चाहिए?

उद्योग की प्रतिक्रियायें

- एआईडीसीएफ ने नये परामर्श पत्र पर दो तरह से नाखुशी जाहिर की, इसने ट्राई को एक विस्तृत जवाब दाखिल करते हुए कहा किः
 - व्यापक लाइसेंसिंग ढ़ांचे के साथ सरेखित करने के लिए एनटीओ 2017 प्रावधानों को फिर से देखने और उचित रूप से तत्काल समायोजिक करने की आवश्यकता है। प्रसारकों को अपने चैनल की एमआरपी को डीपीओ थोक मूल्य पर सीमित करने की आवश्यकता के द्वारा इसे पूरा किया जा

सकता है।

इसके अलावा, डीपीओ एक अनूठी और विशिष्ट सेवा बनाते हैं, इसलिए डीपीओ केवल सेवा का खुदरा मूल्य तय कर सकते हैं, जिसमें उसकी सेवा में शामिल टीवी चैनल की कीमत

ALL INDIA DIGITAL CABLE FEDERATION

भी शामिल है।

- बढ़ती सदस्यता लागत के परिणामस्वरूप डीपीओ को प्रत्येक तिमाही में लाखों ग्राहक खोना पड़ रहा है। यह प्रवृत्ति मौजूदा नियामक ढ़ांचे के तहत डीपीओ के बिजनेस मॉडल की स्थिरता पर संदेह पैदा करती है।
- डीडी फ्री डिश सभी डीपीओ को नियंत्रित करने वाले नियामक दायरे के बाहर काम करता है, जिससे खेल के मैदान में असंतुलन पैदा होता है। अन्य डीपीओ के सामने आने वाली चुनौतियों से परे, डीडी फ्री डिश उपभोक्ता की पसंद को प्रतिबंधित करता है।
- इन प्रतिक्रियाओं के अलावा, एआईडीसीएफ ने इन और अन्य मुद्दों को उठाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें पे चैनल खेल सामग्री को ओटीटी पर मुफ्त पदान किया जान भी शामिल है।

- ◆ In sharp contrast, Broadcasters under the aegis of the Indian Broadcasting and Digital Federation (IBDF) asked for more deregulation:
 - Given the existence of sufficient competition in the market, we strongly recommend the removal of all economic regulations in forming bouquets for both Broadcasters and DPOs.



Indian Broadcasting & Digital Foundation

- India's largest DTH Network, Tata Play, demanded that:
 - * NCF should be done away with. The DPOs understand the subscribers best and can devise plans closest to subscribers' paying capacity and interest.

COMMENT

32

- Constant tinkering with the Broadcast Regulations from 2019 has caused great angst in the Cable and DTH industry and led to myriad changes in the subscriber management systems.
- ◆ The IBDF President claimed in a newspaper interview in December 2022 that:
 - * The new changes introduced by Trai in NTO 2.0 are a great win-win situation for the entire industry and the Regulator. They have partially addressed the issue, as our demand is always Regulatory forbearance.
- ♦ So, the battles with TRAI continue.
- ◆ Meanwhile, according to the latest data provided by TRAI, the current pecking order of pay subscribers has shifted to DTH Networks with 65.25 million subscribers; Cable Subscribers are 64 million; DD Free Dish TV has 45 million "free" subscribers; and HITS is poor 2 million.
- ◆ So, has the decline of Cable started? Time will tell. ■

- इसके ठीक विपरीत इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फेडरेशन (आईबीडीएफ) के तत्वावधान में प्रसारकों ने और अधिक विनियमन की मांग कीः
 - बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा के अस्तित्व को देखते हुए हम प्रसारकों और डीपीओ दोनों के लिए बुके बनाने में सभी आर्थिक नियमों को हटाने की दृढ़ता से अनुसंशा करते हैं।
 - भारत के सबसे बड़े डीटीएच नेटवर्क,
 टाटा प्ले ने मांग की किः
 - एनसीएफ को खत्म किया जाना चाहिए । डीपीओ ग्राहकों को सबसे अच्छी तरह समझते हैं और ग्राहकों की भुगतान क्षमता और व्याज के सबसे करीब योजनायें तैयार कर सकते हैं।

टिप्पणी

- *2019 से प्रसारक नियमों के साथ लगतार छेड़छाड़ से केवल और डीटीएच उद्योग में भारी नाराजगी पैदा हुई है और ग्राहक प्रवंधन प्रणालियों में असंख्य वदलाव हुए हैं।
- आईवीडीएफ अध्यक्ष ने दिसंबर 2022 में एक अखबार के साक्षात्कार में दावा किया किः
 - एनटीओ 2.0 में ट्राई द्वारा पेश किये गये नये वदलाव पूरे उद्योग और नियामक के लिए एक वड़ी जीत की स्थिति है । उन्होंने इस मुद्दे को आंशिक रूप से संबोधित किया है, क्योंकि हमारी मांग हमेशा नियामक सहनशीलता की है ।
- तो, ट्राई के साथ लड़ाई जारी है।
- ◆ इस बीच ट्राई द्वारा उपलब्ध कराये गये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पे ग्राहकों का वर्तमान क्रम 65.25 मिलियन ग्राहकों के साथ डीटीएच नेटवर्क पर स्थानांतरित हो गया है, केबल सब्सक्राइबर 64 मिलियन हैं, डीडी फ्री डिश के पास 45 मिलियन 'फ्री' ग्राहक हैं और हिटस के पास मात्र 2 मिलियन हैं।
- ♦ तो क्या केवल का पतन शुरू हो गया है? समय ही बतायेगा। ■